DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE
GOVT. OF NCT OF DLEHI
GLNS COMPLEX, DELHI GATE, N. DELHI-02
(ADMINISTRATION BRANCH)

F.10(390)/2018/A-I/DSW/Estt./RRs/ 1048 Dated: 29/08/22

Sub: Amendment in RRs to the post of Principal, Govt. Lady Noyce School for Deaf and Dumb – Reg.

Please find enclosed a copy of Delhi Gazette Notification regarding amendment in RRs to the post of Principal, Govt. Lady Noyce School for Deaf and Dumb, Department of Social Welfare, GNCTD for uploading the same on the website of this Department.

Encl: As above

29/08/22
(Rahul Aggarwal)
Dy. Dirctor (Admn-I)

To

Sr. System Analyst
IT Branch, DSW (HQ)

29/08/22

Abhishek

384/CC
29/8/22

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20082022-238231
SG-DL-E-20082022-238231

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 18, 2022/श्रावण 27, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 224
No. 393]	DELHI, THURSDAY, AUGUST 18, 2022/SRHAVANA 27, 1944	[N. C. T. D. No. 224

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 अगस्त, 2022

फा. सं. 10(390)/2018/ए–I/डीएसडब्ल्यू/स्था./आरआर/9793-9799.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, समाज कल्याण विभाग की दिनांक 26 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना सं. 2(37)/82/एस– II तथा दिनांक 6.2.1989 की अधिसूचना सं. 6(2)/86–डीएसडब्ल्यू स्था. के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किये जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्ष से एतद्द्वारा समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रधानाचार्य, राजकीय लेडी नॉइस मूक और बधिर विद्यालय के पद हेतु नियमों में आवष्यक संषोधन करते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :–(i) इन नियमों को समाज कल्याण विभाग प्रधानाचार्य, राजकीय लेडी नॉइस मूक और बधिर विद्यालय, भर्ती नियमावली, 2022 कहा जायेगा।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :— उक्त** पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :— वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है, तो वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचावः**— इन नियमों में किसी उल्लेख से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	प्रधानाचार्य, राजकीय लेडी नॉइस मूक और बधिर विद्यालय
2.	पदों की संख्या	:	01*(2020) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय , राजपत्रित , समूह "क"
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	**वेतन मैट्रिक्स में** स्तर–12, (78800–2,09,200/–रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु–सीमा	:	लागू नहीं ।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु : लागू नहीं शैक्षणिक योग्यता : लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	पदोन्नति वालों के लिए दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	100 प्रतिषत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सहित
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	:	**पदोन्नति :** ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 9(53100 –1,67,800/–रुपये) में (समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन राजकीय लेडी नोयसी मूक और बधिर विद्यालय, जीएलएनएस काम्प्लैक्स, दिल्ली गेट तथा मूक विद्यालय, कालकाजी) उप–प्रधानाचार्य । **टीप** – जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।

180/C

			प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सांविधिक या स्वायत्त निकाय या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के निम्नलिखित अधिकारीः– क. (i) मूल संवर्ग या विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर –11 (67700–208700/–रू.) में पॉच वर्ष की नियमित सेवा सहित, अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष, तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले: **अनिवार्य योग्यताः** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मास्टर डिग्री । (ii) भारतीय पुर्नवास परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से श्रवण यंत्र में बी.एड विशेष शिक्षा (B.Ed. Spl.Ed.HI) (iii) पुर्नवास पेशेवर के रूप में वैद्य भारतीय पुर्नवास परिषद् का पंजीकरण प्रमाण–पत्र (iv) भारतीय पुर्नवास परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से संकेत भाषा में प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा। **अनिवार्य/अनुभव :** दोषपूर्ण श्रवण के लिए किसी सरकारी या स्वैच्छिक संस्थान में 10 वर्षों का शिक्षण अनुभव । **वांछनीय :** (i) दोषपूर्ण श्रवण के लिए किसी प्रषिक्षण संस्थान के प्रमुख या संस्थान के प्रषासनिक प्रभारी के रूप में कम से कम एक वर्ष का अनुभव । (ii) मैट्रिक स्तर पर विषय के रूप में हिन्दी का अध्ययन । **मानक टीप :** **टीप – 1** भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। **टीप – 2** केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर–संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	**विभागीय पदोन्नति समिति** 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग (अध्यक्ष) 2. सचिव, (समाज कल्याण), रा.रा.क्षे.दि.स. (सदस्य) 3. सचिव (शिक्षा), रा.रा.क्षे.दि.स. (सदस्य) 4. निदेशक (समाज कल्याण), रा.रा.क्षे.दि.स. (सदस्य) **विभागीय स्थाईकरण समिति** 1. सचिव, (समाज कल्याण), रा.रा.क्षे.दि.स. (अध्यक्ष) 2. सचिव (शिक्षा), रा.रा.क्षे.दि.स. (सदस्य) 3. निदेशक (समाज कल्याण), रा.रा.क्षे.दि.स. (सदस्य)
13.	वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

गरिमा गुप्ता, सचिव (समाज कल्याण)

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 18th August, 2022

No. F. 10(390)/2018/A-I/DSW/Estt./RRs/9793-9799.—in exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 27/59-Him. (i) dated, the 13th July, 1959, and in supersession of the Government of National Capital Territory of Delhi, Department of Social Welfare's notification No. F. 2(37)/82-S.II dated 26th December, 1986 and notification No. F. 6(2)/86-DSW.Estt dated 06.02.1989 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi with prior consultation of UPSC, is pleased to make necessary amendment in the rules for the post of Principal, Government Lady Noyce School for Deaf and Dumb, Department of Social Welfare, Government of National Capital Territory of Delhi, as following namely:

1. **Short title and commencement. – (i)** These rules may be called the Department of Social Welfare, Principal, Government Lady Noyce School for Deaf and Dumb, Recruitment Rules, 2022.

(ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay-**The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.** – the method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said schedule.

4. **Disqualifications.** – No person, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Government is of the opinion that it is necessary of expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of Post	Principal, Government Lady Noyce School for Deaf And Dumb
2. Number of post	01* (2020) *Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	General Central Service Non Ministerial Gazetted Group, A
4. Pay Level in the Pay Matrix	Level 12 (Rs.78800-209200) in the Pay Matrix.
5. Whether Selection Post / Non Selection Post	Selection Post
6. Age Limits for Direct Recruits	Not Applicable
7. Educational and other Qualification required for direct recruits	Not Applicable
8. Whether age & educational qualifications prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	Age : NA Edu. Qual : NA
9. Period of Probation if any	Two years for promotes.

178/C

10. Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	100% by Promotion failing which Deputation including Short Term Contract.
11. In case of recruitment by Promotion/Deputation/Absorption, grades from which Promotion/Deputation/Absorption to be made.	**Promotion:** Vice Principal (in Government Lady Noyce School for Deaf and Dumb, GLNS Complex, Delhi Gate and School for Deaf, Kalkaji, under Department of Social Welfare, GNCTD) in Level-9 of Pay Matrix (Rs. 53100 - 167800/-) with 10 years of regular service in the grade. **Note**: Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation (ISTC):** Officers of the Central or State Government or Union Territory Administration or Public Sector Undertaking or Statutory or Autonomous Bodies or recognized Universities or Institutions: a. (i) holding analogues posts on a regular basis in the parent cadre or department; or , (ii) with 5 years regular service in posts in Level 11 (Rs.67700-208700/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience: **Essential Qualification:** (i) Master Degree from a recognized University/Institute. (ii) B.Ed Special Education in Hearing Imparment [B.Ed. Spl. Ed.(HI)] from an Institute recognized by Rehabilitation Council of India (RCI). (iii) A valid Rehabilitation Council of India (RCI) registration Certificate as Rehabilitation Professional. (iv) A certificate/diploma in sign language from an institute recognized by Rehabilitation Council of India (RCI). **Essential Experience:** 10 years teaching experience in a Govt. or Voluntary Institution for the Hearing Impaired. **Desirable:** (i) At least one year experience as Head of Training Institute or Administrative In-charge of an Institute for Hearing Impaired. (ii) Should have studied Hindi as a subject at matric level. **Standard Notes:** **Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: The period of Deputation (ISTC) including the period of Deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of

	the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Departmental Promotion Committee** 1. Chairman/Member of UPSC (Chairman) 2. Secretary (Social Welfare), GNCTD (Member) 3. Secretary (Education), GNCTD (Member) 4. Director (Social Welfare), GNCTD (Member) **Departmental Confirmation Committee** 1. Secretary (Social Welfare), GNCTD (Chairman) 2. Secretary (Education), GNCTD (Member) 3. Director (Social Welfare), GNCTD (Member)
13. Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.	Consultation with the Commission is necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

GARIMA GUPTA, Secy. (Social Welfare)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.